



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46831

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3179/2026

जगदीश शरण पटेरिया

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शगुन के. सरन, उज्जवल सत्संगी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, बाल मुकुंद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उज्जवल सत्संगी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 33 के अधिवक्ता श्री बाल मुकुंद को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यद्यपि उन्हें 01.02.1955 को जिला झांसी के जिला युवा एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग में जोन वर्कर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें समय-समय पर पदोन्नत किया गया था तथा वे 30.06.1992 को सेवानिवृत्त हुए, फिर भी याचिकाकर्ता को सामान्य भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है।
3. इस याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री बाल मुकुंद ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अनुलग्नक-1 के पृष्ठ 13 पर एक दस्तावेज है जो सामान्य भविष्य निधि के 90% भुगतान का हकदार बनाता है, लेकिन उक्त भुगतान राज्य सरकार को करना है।
5. इस प्रस्तुति पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिसके बाद तीसरे प्रतिवादी और

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य प्राधिकारी के सहयोग से, इस संबंध में कानूनी रूप से हकदार और स्वीकार्य आवश्यक भुगतान आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किए जाएंगे।

7. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह अभिव्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।
8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।